न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—707 / 2013 संस्थित दिनांक—07.08.2013 भाईलिंग क. 234503003352013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// <u>विरूद</u> //

कृष्णा साखरे पिता रघुसाव साखरे, उम्र—48 वर्ष, निवासी—ग्राम डोंगरिया, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आराप

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-16/03/2017 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323, 325 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—04.07.2013 को दिन के 3:00 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में आहत मीराबाई को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, आहत जयप्रकाश को बांस की लकड़ी से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मीराबाई ने दिनांक—31.07.13 को थाना परसवाड़ा आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक—04.07.13 को शाम 6:30 बजे, उसके काका ससुर का लड़का विनय साकरे बाड़ी रूंद कर आने—जाने वाले रास्ते को बंद कर रहा था, तब फरियादी के लड़के जयप्रकाश ने उसे बाड़ी रूंदने से मना किया, जिस बात को लेकर दोनों के बीच गाली—गलौज और विवाद होने लगा, तभी विनय साकरे का पिता कृष्णा साकरे एक लाठी लेकर आया और जयप्रकाश के बांए हाथ में मार दिया, जिससे उसे सूजन आ गई। फरियादी मीराबाई के बीच—बचाव करने गई, तब उसके बांए हाथ की कलाई पर चोट लगी और खून निकलने लगा। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें आहत जयप्रकाश की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर होना पाया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—46 / 13 अंतर्गत धारा—323, 325 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घाटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी

जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेख किये गए एवं आरोपी को गिरफतार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323, 325 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य दिया जाना ब्यक्त किया, किन्तु बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

- 1— क्या आरोपी ने दिनांक—04.07.2013 को दिन के 3:00 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में आहत मीराबाई को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत जयप्रकाश को बांस की लकड़ी से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु कमाक-1 एव 2 का निष्कर्ष :-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन साक्षी मीराबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना जून माह वर्ष 2013 के लगभग शाम 5:00 बजे की है। बाड़ी बनाने की बात को लेकर आरोपी ने उसके पुत्र को उपडे से मारा था और उसके साथ भी मारपीट की थी। आरोपी द्वारा लकड़ी से मारने के कारण उसके पुत्र का हाथ टूट गया था। आरोपी ने उसे अश्लील गालियां दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में लेख कराई थी और उसका ईलाज परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी कृष्णा साखरे रिश्ते में उसका देवर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बाड़ी की मेढ़ को लेकर आरोपी और उसका पूर्व में भी विवाद हुआ था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पुत्र के विरुद्ध पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट लेख कराई गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पुत्र जयप्रकाश गिर गया था, जिस कारण उसके हाथ में चोट आई थी।
- 7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी जयप्रकाश (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी कृष्णा साखरे रिश्ते में उसका चाचा लगता

है। घटना दिनांक को आरोपी कृष्णा साखरे उसकी बाड़ी की तरफ आकर बाड़ी बांध रहा था और जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसे मॉ—बहन की गालियां दी और लाठी से उसके बांए हाथ में मारा, जिससे उसे अस्थिभंग हो गया था। उसकी मॉ बचाने के लिए आई तो उसे भी आरोपी ने मारा था। पुलिस ने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—1 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मेढ़ को लेकर आरोपी से उसका पूर्व में विवाद हुआ था। साक्षी ने घटना का माह जून माह बताया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी और पत्थर पर गिर जाने से उसे चोट आई थी।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मिठ्ठनलाल (अ.सा.३) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी तथा आहतगण को जानता है, क्योंकि वे उसके ही गांव के रहने वाले हैं। वह बाजार से लौट रहा था, तब आरोपी कृष्णा साखरे एवं आहत जयप्रकाश का झगड़ा हो रहा था। आरोपी कृष्णा साखरे तथा जयप्रकाश के बीच खींचातानी हो रही थी और मारपीट हो रही थी। वह अंदर चला गया था और जब बाहर आया तो मीराबाई और जयप्रकाश को घायल अवस्था में देखा था और जयप्रकाश के हाथ में चोट थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी डण्डा लेकर आया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी ने जयप्रकाश को हाथ में डण्डे से मारा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि जयप्रकाश के परिवारवालों ने बताया था कि आरोपी ने जयप्रकाश को डण्डा मारा था और जयप्रकाश गिर गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आरोपी कृष्णा को मारपीट करते हुए स्वयं नहीं देखा था।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी चैतीबाई (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी एवं आहतगण को जानती है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। जब वह बाज़ार से वापस आई तो उसने आरोपी एवं आहत जयप्रकाश के बीच मारपीट होते हुए देखी थी। उसने आरोपी के हाथ में लकड़ी का डण्डा देखा था और वह घर चली गई थी। उसने आहत मीराबाई, जयप्रकाश के साथ आरोपी द्वारा मारपीट किया जाना स्वयं नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उसके सामने आहतगण को डण्डे से मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह उपस्थित थी और उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी।

अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी तिरथ चौबे (अ.सा.5) ने अपने 10-न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-31.07.2013 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक अजय भलावी द्वारा सान्हा क्रमांक—122, दिनांक—04.07.2013 की जांच पर से आरोपी कृष्णा साखरे के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक-46 / 13, धारा-323, 325 भा.द.वि. प्रदर्श पी-5 लेख की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक अजय भलावी ने हस्ताक्षर किये थे। उक्त अपराध की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-01.08.2013 को जयप्रकाश की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षी मीराबाई, जयप्रकाश, चैतीबाई, मिठ्ठन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-03.08.2013 को आरोपी कृष्णा से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श डी-1 के रोजनामचा सान्हा में ओवर राईटिंग की गई है और इसके विषय में कोई टीप लेख नहीं की गई है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये थे।

11— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अजय भलावी (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—04.07.2013 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी मीराबाई की रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी कृष्णा साखरे द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा कमांक—122, दिनांक—04.07.2013 में लेख कर आहत मीराबाई एवं जयप्रकाश को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल परसवाड़ा भेजा था। मुलाहिजा होने के पश्चात् आरोपी कृष्णा साखरे के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—46/2013, अंतर्गत धारा—323, 325 भा.द. सं. प्रदर्श पी—5 लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। सान्हा प्रदर्श डी—1 है, जो उसकी हस्तिलिप में है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने एम.एल.सी. के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि रोजनामचा सान्हा में दिनांक—04.07.2013 में ओवर राईटिंग की गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक—31.07.2013 का उल्लेख है।

12— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉक्टर मनोज पांडे (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—30.07.2013 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत जयप्रकाश के बांए हाथ का एक्सरे प्लेट क्रमांक—4070, जिसे दिनांक—13.07.13 को एक्सरे

टेक्निशियन ए.के. सेन द्वारा लिया गया था, का परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत की अलना हड्डी के मध्य एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि खुरदुरी वस्तु पर हाथ के बल गिर जाने से इस प्रकार की चोट आ सकती हैं। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 एवं 325 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। घटना के विषय में साक्षी मीराबाई (अ.सा.1) का यह कहना है कि बाड़ी रूंधने(बांधने) की बात को लेकर आरोपी से विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने उसके पुत्र के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। साक्षी मीराबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि बीच-बचाव करने पर आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि मीराबाई (अ.सा.1) की चिकित्सीय रिपोर्ट अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं कराई गई है। साक्षी मीराबाई (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन साक्षी जयप्रकाश (अ.सा.2) ने किया और कहा है कि बाड़ी बांधने की बात को लेकर आरोपी कृष्णा साखरे ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की थी, जिस कारण उसके हाथ में अस्थिमंग हुआ था। उसकी मॉ मीराबाई (अ.सा.1) उसे बचाने आई तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की थी। प्रकरण में आहत मीराबाई तथा आहत जयप्रकाश के कथनों का आंशिक समर्थन कर साक्षी मिठ्ठनलाल (अ.सा.३), चैतीबाई (अ.सा.४) ने कहा है कि घटना दिनांक को उन्होंने आरोपी कृष्णा साखरे तथा आहत जयप्रकाश के बीच विवाद होते हुए देखा था। यद्यपि दोनों ही साक्षियों ने आरोपी द्वारा फरियादीगण से मारपीट अपने सामने किये जाने से इंकार किया है, परंतु विवाद होने की बात उपरोक्त साक्षियों ने स्वीकार की है।

14— साक्षी तीरथ बाँचे (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 को प्रमाणित किया है तथा रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी—1 की कार्यवाही को स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी—1 में दिनांक के स्थान पर ओवर राईटिंग की गई है और इस संबंध में कोई टीप लेख नहीं की गई है। रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी—1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शीर्षक भाग में जहां दिनांक—04.07.2013 लेख की गई है, वहां निम्न भाग पर प्रधान आरक्षक के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक—31.07.2013 लेख है, जिससे यह धारणा की जा सकती है कि रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी—1 दिनांक—31.07.2013 को ही लेख किया गया था। साक्षी मीराबाई (अ.सा. 1) ने कहा है कि घटना वर्ष 2013 की जून माह की है। घटना के विषय में रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी—1, दिनांक—31.07.2013 को लेख किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। आहत जयप्रकाश का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक—04.07.2013 को कराया गया था, परंतु इस संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं कराई गई है। चिकित्सक साक्षी डॉक्टर मनोज पाण्डे (अ.सा.7) ने कहा है कि दिनांक—30.07.2013 को वह जिला

चिकित्सालय बलाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-13.07.2013 को एक्सरे टेक्निशियन द्वारा आहत जयप्रकाश का परीक्षण किया था और उसकी अलना हर्डडी में अस्थिभंग होना पाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 दिनांक–31.07.2013 को लेख की गई थी और घटना की दिनांक प्रदर्श पी-5 प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार दिनांक-04.07.2013 बताई गई है। आहत जयप्रकाश का एक्सरे दिनांक-13.07.2013 प्रदर्श पी-7 अनुसार कराया गया है। घटना के लगभग 10 दिन पश्चात् आहत का एक्सरे कराया जाना भी संदेह को जन्म देता है। रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी-1 में शीर्षक में ओवर राईटिंग कर दिनांक-04.07.2013 लेख की गई थी, जबकि निम्न भाग में प्रधान आरक्षक के हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट दिनांक-31.07.2013 दर्शित है। चिकित्सक द्वारा प्रदर्श पी-7 की रिपोर्ट के विषय में यह कहा है कि दिनांक-13.07.2013 को एक्सरे टेकिनिशयन द्वारा आहत जयप्रकाश का एक्सरे किया गया था। यदि तर्क के लिए घटना दिनांक-04.07.2013 की मान ली जावे तो अस्थिभंग के लिए आहत को दिनांक-13.07.2013 को चिकित्सालय लेकर जाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। फरियादी मीराबाई ने यह स्वीकार किया है कि बाड़ी की मेढ़ को लेकर आरोपी से उसका पहले से ही विवाद था और यही बात अभियोजन साक्षी जयप्रकाश (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की है कि उसका आरोपी से मेढ़ की बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। शेष अभियोजन साक्षी मिठ्ठनलाल (अ.सा.3), चैतीबाई (अ.सा.4) ने विवाद की बात तो स्वीकार की है, परंतु कहा है कि उन्होंने मारपीट होते हुए नहीं देखा, बल्कि उनका ऐसा कहना है कि आरोपी कृष्णा साखरे एवं जयप्रकाश के बीच मारपीट हो रही थी। विवाद में दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ खींचतान कर रहे थे, यह बात अभियोजन साक्ष्य से प्रकट हो रही है। यह भी संभव है कि इस मारपीट में आहतगण को चोट आई हो, परंतु आरोपी द्वारा स्वेच्छया आहत जयप्रकाश को घोर उपहति कारित की गई थी तथा आहत मीराबाई को साधारण उपहति कारित की गई थी, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। आहतगण का विलंब से चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना तथा विवेचक की कार्यवाही में रोजनामचा सान्हा, प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में तात्विक विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 एवं 325 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता और आरोपी को उपरोक्त धाराओं में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

16— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें। 17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

WILHERY PARTON BUILTING BUILTI